

# मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1999 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 8 मार्च, 1999 (फाल्गुन 17, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथक्कृत वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-32-94-विक-पांच-(67), दिनांक 5 सितम्बर, 1998 पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. सुनीलम्, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, कंकर मुंजारे सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम साबड़ी निवासी आदिवासी युवक की भूख एवं उपचार के अभाव में हुई मीत की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री हजारीलाल दंगी, सदस्य, सीहोर, शाजापुर व राजगढ़ जिलों में फसल बीमा एवं श्रमिक बीमा राशि में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिये पन्द्रह-पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (2) तथा 223-ख के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये क्रमशः लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सदस्य होने के लिये अपने में से पन्द्रह-पन्द्रह सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

### 5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये बीस सदस्यों का निर्वाचन

श्रीमती उर्मिला सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी :-

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234 - ख के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 1999-2000 के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिये अपने में से बीस सदस्यों के निर्वाचन के लिये (जिसमें से क्रमशः पांच-पांच सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के हों) अग्रसर हों."

निर्धारित  
समय

1 घन्टा  
30 मि.

2 घन्टे

3 घन्टे

2 घन्टे

8. वर्ष 1999-2000 की अनुषंगों की मांगों पर मतदान

- |  |  |
|--|--|
| (1) मांग संख्या 55   | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय   |
| (2) मांग संख्या 33<br>मांग संख्या 41   | आदिम जाति कल्याण<br>आदिवासी क्षेत्र उपयोजना  |
| (3) मांग संख्या 06<br>मांग संख्या 31<br>मांग संख्या 38<br>मांग संख्या 50<br>मांग संख्या 60<br>मांग संख्या 74 | वित्त विभाग से संबंधित व्यय<br>योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से<br>संबंधित व्यय<br>रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त<br>व्यय<br>बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित<br>व्यय<br>जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय<br>वित्त विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता<br>प्राप्त परियोजनाएं |
| (4) मांग संख्या 23<br>मांग संख्या 45<br>मांग संख्या 57<br>मांग संख्या 88                                     | जल संसाधन विभाग<br>लघु सिंचाई निर्माण कार्य<br>जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से<br>सहायता प्राप्त परियोजनाएं<br>जल संसाधन विभाग से संबंधित नगार्ड से<br>सहायता प्राप्त परियोजनाएं   |
| (5) मांग संख्या 13<br>मांग संख्या 17<br>मांग संख्या 40<br>मांग संख्या 52<br>मांग संख्या 54                   | कृषि<br>सहकारिता<br>आयाकट<br>कृषि विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता<br>प्राप्त परियोजनाएं<br>कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय   |

भोपाल :  
दिनांक : 8 मार्च, 1999

के.पी. सिवारी  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा